# हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की 26 फरवरी, 2015 को माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सचिवालय कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

(बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।)

1. हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2015 को प्रातः 11 बजे हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना को अनुमोदित करने के लिए आयोजित की गई।

2. सर्वप्रथम प्रधान सचिव (योजना) डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं उपस्थित मन्त्रीमण्डल के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि आज की इस बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2015–16 पर विस्तृत चर्चा एवं नियोजन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब केन्द्र में योजना की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। केन्द्र से वार्षिक योजना 2015–16 के प्रारूपण के लिए कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं फिर भी योजना विभाग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों को तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2015–16 का प्रारूप तैयार किया गया है।

3. उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड, श्री गंगू राम मुसाफिर ने माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित माननीय मंत्रियों एवं अन्य गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन को अवगत करवाया कि राज्य योजना बोर्ड की बैठक का आयोजन प्रस्तावित वार्षिक योजना 2015–16 पर विस्तृत चर्चा तथा नियोजन से सम्बन्धित मुद्दों पर माननीय सदस्यों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के आश्य से किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी प्रस्तावित योजना 2015–16 में सम्मिलित

करने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने समस्त सदस्यों से अनुरोध किया कि वे प्रदेश के विकास को और अधिक समावेशी तथा इसे और अधिक गति तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी अपने बहुमूल्य सुझाव बैठक के दौरान रखें।

4. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में भाग लेने आए सभी माननीय सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा आश्वस्त किया कि वार्षिक योजना 2015–16 के परिव्ययों व कार्यक्रमों को सभी बुद्धिजीवियों से विचारविमर्श के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद भी राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2015–16 के आकार में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है।

5. वार्षिक योजना 2015–16 के लिए प्रस्तावित 4,800 करोड़ रूपये के परिव्ययों में से अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए 1,209 करोड़ रूपये, जनजातीय उप–योजना के लिए 432 करोड़ रूपये तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए 60 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित है। सरकार ने सामाजिक सेवा शीर्ष को वर्ष 2015–16 में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की है तथा इसके लिए 1,842 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं जो कुल योजना का 38.37 प्रतिशत है। सरकार द्वारा दूसरी प्राथमिकता परिवहन एवं संचार को दी गई है जिसके लिए 887 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा जो कि योजना का 18.5 प्रतिशत है। ऊर्जा का दोहन सरकार की विकास नीति का महत्वपूर्ण अंग है तथा इस क्षेत्र के लिए 642 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। बागवानी एवं कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वनूर्ण अंग है। अतः इस क्षेत्र के लिए 512 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा जो कि कुल योजना आकार का 10.7 प्रतिशत है।

6. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि प्रदेश की 2014–15 की वार्षिक योजना पर राज्य योजना बोर्ड एवं विधायिकी अनुमोदन के बावजूद भी योजना आयोग के स्तर पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। नीति आयोग के गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक योजना के प्रारूपण की निरन्तरता के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 2015–16

के नियोजन की प्रकिया को पूर्ण किया तथा राज्य योजना बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया।

7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी बताया कि उन्होंने नीति आयोग के समक्ष प्रदेश के हितों को प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया है तथा पहाड़ी राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए नीति आयोग में एक पृथक पहाड़ी राज्य प्रभाग (Separate Hill States Division) तथा पहाड़ी राज्यों एवं विशेष श्रेणी राज्यों के उत्थान के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे चर्चा के दौरान प्रस्तावित योजना आकार, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, संसाधनों को जुटाने, मित्तव्ययता के उपाय सुझाने, बेहतर प्रशासन प्रदान करने तथा पूंजी निर्माण के लिए अपने बहुमूल्य एवं सकारात्मक सुझावों से सरकार को अवगत करवाएं।

8. इसके पश्चात प्रधान सचिव (योजना) द्वारा राज्य योजना 2015–16 के मुख्य बिन्दुओं पर Power Point Presentation प्रस्तुत की गई जिसमें प्रदेश के विकास की वर्तमान स्थिति का भी ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा वार्षिक योजना 2014–15 का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग भारत सरकार को भेजा गया था। परन्तु इस योजना पर चर्चा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को नहीं बुलाया गया था, जिससे प्रदेश के संसाधनों पर चर्चा नहीं हो पाई। केन्द्र सरकार से जो संसाधन/वित्तीय सहायता वर्ष 2013–14 में प्रदान की गई थी उसका स्तर वर्ष 2014–15 के लिए भी लगभग वही रखा गया। इन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा 4400 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना को बिना किसी कटौती के कार्यान्वित किया गया।

9. प्रधान सचिव (योजना) ने सदस्यों को अवगत करवाया कि केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को 'योजना आयोग' की जगह 'नीति आयोग' का गठन किया है। प्रदेश सरकार को नीति आयोग से वार्षिक योजना 2015–16 के प्रारूपण हेतू दिशानिर्देशों की उम्मीद थी परन्तु न तो योजना आयोग और न ही नीति आयोग से हमें इस सम्बन्ध में कोई दिशानिर्देश प्राप्त हुए और न ही योजना प्रारूप भेजने के लिए कहा गया। सरकार द्वारा पिछले वर्ष की

वार्षिक योजना को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2015–16 के प्रारूपण का निर्णय लिया गया।

10. श्री विनोद सुल्तानपुरी, गैर सरकारी सदस्य ने सूचित किया कि कालका शिमला रेलवे लाईन पर गाड़ी अब कई स्टेशनों पर रूकती नहीं है तथा यह स्टेशन अब निष्क्रिय (defunct) हो गए हैं। अगर भारत सरकार/ रेलवे मंत्रालय ऐसे स्टेशनों पर रोज़गार सृजित करने वाले कार्यकलापों को चलाने की अनुमति प्रदेश को प्रदान कर दे तो इससे प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि यह रेलवे लाईन एक heritage रेलवे लाईन है। इस रेलवे लाईन पर कई स्टेशन इसलिए बन्द कर दिए गए ताकि कालका से शिमला की दूरी कम समय में तय की जा सके।

11. डॉ. के.सी. आज़ाद, गैर सरकारी सदस्य ने बताया कि उत्तम किस्म के पौधे ही बागवानी का आधार हैं। प्रदेश में हर वर्ष बागवानी के अन्तर्गत क्षेत्र में बढ़ौतरी हो रही है जबकि इसकी तुलना में फलों की पैदावार घट रही है। इसका मुख्य कारण है कि प्रदेश में Commercial Quality Improvement Programme पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो पौधे विभाग की ओर से वितरित किए जाते हैं, वह घटिया किस्म के होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश में आनुवंशिक उन्नत पौधों (genetically improved plants) के इस्तेमाल पर बल दिया जाना चाहिए।

12. डॉ आज़ाद ने यह भी ध्यान में लाया कि प्रदेश में उन्नत किस्म की खाद जैसे कि 15:15:15 उपलब्ध नहीं है जो किस्म (12:32:16) उपलब्ध है वह फसलों के लिए अच्छी नहीं है बल्कि हानिकारक भी है। CAN की किस्म प्रदेश में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खाद के मुद्दे पर हस्ताक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश में CAN खाद की किस्म भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, चाहे यह बाज़ार कीमत पर ही उपलब्ध हो ताकि प्रदेश के प्रगतिशील किसान इसका लाभ उठा सकें।

13. अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्यान) ने डॉ. के.सी. आज़ाद द्वारा उठाए गए मुद्दों की सराहना की और कहा कि पौधों की अच्छी किस्म की उपलब्धता महत्वपूर्ण है परन्तु वह इस बात से सहमत नहीं है कि

प्रदेश में इसकी स्थिति दयनीय है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश उद्यान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई है तथा विभाग द्वारा एक नोडल एजैन्सी भी बनाई गई है। उन्होने यह भी बताया कि वर्तमान नर्सरी अधिनियम में अनाचार (malpractices) पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए विभाग शीघ्र ही अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है जिससे कि उत्तम किस्म की पौध किसानों को समय पर उपलब्ध करवाई जा सके। जहां तक खाद की उपलब्धता का विषय है, यह केवल प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश की समस्या है क्योंकि यह मामला विभिन्न खाद की किस्मों पर भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी से जुड़ा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि वह इस मामले की पुनः जांच करेंगे तथा इसे कृषि विभाग के साथ चर्चा उपरान्त सुलझा लिया जाएगा।

14. डॉ. आज़ाद ने प्रदेश में कीटनाशक दवाईयों की ज़रूरत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जबकि प्रदेश में अब प्राईवेट नैटवर्क पूर्णतया स्थापित हो चुका है फिर भी उद्यान विभाग कीटनाशक दवाईयों के वितरण में अपना बहुमूल्य समय एवं संसाधन व्यर्थ कर रहा है। विभाग का कार्य तो केवल कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं उस पर नियन्त्रण होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना चाहिए जिससे निजी क्षेत्र प्रोत्साहित होगा, निजी फर्मों में आपसी स्पर्धा बढ़ेगी तथा कीटनाशक दवाईयां प्रदेश के किसानों को सही कीमत एवं सही समय पर, door steps पर उपलब्ध होंगी ।

15. इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) ने बताया कि प्रदेश में खाद एवं कीटनाशक निजी कम्पनियों द्वारा भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में यह आपूर्ति तीन माध्यमों से की जा रही है। विभाग के अपने outlets हैं जहां पर सब्सिडी वाली खाद एवं कीटनाशक मिलते हैं, प्रदेश में सहकारी समितियाँ हैं तथा निजी क्षेत्र के माध्यम से भी खाद एवं कीटनाशक किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की समय–समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें धीरे–धीरे कटौती हो रही है। जैसे–जैसे यह सब्सिडी खत्म होगी तो विभाग की भूमिका भी केवल कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं नियन्त्रण में तबदील हो जाएगी।

16. माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी स्थिति का जायज़ा लेते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसानों को खाद एवं कीटनाशक उनकी जरूरतों के अनुसार उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने जैविक खेती को प्रदेश में प्रोत्साहन देने पर बल दिया और यह भी बताया कि जो जैविक सब्जियाँ एवं फल बाज़ार में आ रहे हैं वह घटिया किस्म के हैं। अतः विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल प्रमाणित किस्में ही बाज़ार में उपलब्ध हों।

17. श्री कुलदीप सिंह पठानिया, माननीय गैर सरकारी सदस्य ने प्रदेश के संसाधनों की बढ़ौतरी पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव (योजना) ने विकास के जो आंकड़े आज की बैठक में रखे हैं उससे यह स्पष्ट है कि प्रदेश में secondary तथा tertiary sector में पिछले कई दशकों से वृद्धि हो रही है जो कि सराहनीय है। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 4–5 वर्षों में ऊर्जा का उत्पादन तो बढ़ा है परन्तु इस क्षेत्र से आय में स्थिरता नहीं रही अपितु इसमें गिरावट आई है जो कि एक चिन्ता का विषय है। प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र विशेष कर कृषि क्षेत्र में विविधता आई है जिससे इस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में भी वृद्धि हुई है। अतः आने वाले समय में कृषि में विविधता एक अच्छा आय का साधन बन सकता है।

18. श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग के साथ पर्यटन के विकास की भी काफी गुंजाइश है। इस क्षेत्र के विकास के लिए निवेश भी एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए ऐसी परियोजनाओं को PPP Mode के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि सभी जगह Public Private Partnership की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं के लिए स्थानीय निजी निवेशकों को आगे आना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो परियोजनाएं Eco-Tourism के अन्तर्गत स्वीकृत की गई हैं, वहां पर अच्छा काम हुआ है और अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अतः Eco-Tourism को और अधिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है।

19. श्री कुलदीप सिंह पठानियां ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत हर वर्ष अलग से धनराशि चिन्हाँकित करने के बावजूद राज्य के कुछ ज़िलों जैसे कि चम्बा, शिमला, मण्डी तथा कुल्लु के

दूरदराज़ क्षेत्रों में infrastructure की कमी है और असमानता नज़र आती है। इसके लिए प्रदेश सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

20. श्री विजय सिंह मनकोटिया, माननीय गैर सरकारी सदस्य ने सूचित किया कि प्रदेश में पर्यटन की बहुत ज़्यादा सम्भावना है, इसके बावजूद देश के कुल पर्यटकों का केवल 1.73 प्रतिशत ही प्रदेश में आता है। आज तक ऊर्जा क्षेत्र को आय का एक मुख्य स्त्रोत माना जाता रहा है, परन्तु पर्यटन क्षेत्र भी प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्त्रोत बन सकता है। वर्तमान में सरकार केवल Asian Development Bank की सहायता से इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, परन्तु इस क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। पहले हमें पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहिए फिर इसका प्रचार करना चाहिए। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश पूरे वर्ष सड़क, रेल एवं वायु मार्ग से देश के अन्य भागों से जुड़ा रहे। पिछले दो वर्षों से प्रदेश की राजधानी शिमला का हवाई अड्डा बन्द पड़ा है जो कि एक चिन्ता का विषय है। अतः सरकार को प्रदेश में पर्यटन के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 'विशेष श्रेणी राज्य' होने के नाते विशेष सहायता हेतू केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि आज के समय में Corporate Social Responsibility (CSR) किसी भी राज्य के विकास का मुख्य साधन है। हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली रहा कि इसे 'विशेष औद्योगिक पैकेज' मिला जिससे प्रदेश के बद्दी–बरोटीवाला तथा अन्य क्षेत्रों में देश के विभिन्न उद्यमियों द्वारा इकाईयाँ स्थापित की गईं परन्तु इन इकाईयों का प्रदेश के विकास में क्या योगदान रहा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। CSR के अन्तर्गत प्रत्येक औद्योगिक इकाई को अपने वार्षिक लाभ का 2 प्रतिशत उस क्षेत्र/राज्य के विकास के लिए खर्च करना होता है परन्तु आज तक यह आँकड़े सामने नहीं आए कि कौन सा उद्योग अपने वार्षिक लाभ का कितना प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्र एवं राज्य के विकास के लिए खर्च कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में जो भी औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित की जा रही हैं, वह केवल border areas पर ही हो रही हैं, जबकि औद्योगिक विकास तो समूचे प्रदेश में, जहाँ–जहाँ सम्भव हो, किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के अन्य ज़िलों के बेरोज़गारों को भी रोज़गार मिल सके।

21. आखिरी मुद्दा प्रदेश में कृषि के विकास के सम्बन्ध में उठाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। उदाहरण के तौर पर कांगड़ा जिला जिसका अधिकतर भाग मैदानी है, वहां पर कृषि योग्य भूमि यानि कि 'अव्वल नेहरी जमीन' पर बिना किसी रोक टोक के निर्माण कार्य किया जा रहा है या फिर बड़े कॉम्पलैक्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक चिन्ता का विषय है। इस विषय पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) ने बताया कि विभागीय आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011–12 में कृषि के अन्तर्गत 795.18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि वर्ष 2013–14 में बढ़कर 799.70 हजार हैक्टेयर हो गया है। इसी तरह अनाज की पैदावार में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि किसान अब traditional crops से commercial crops की तरफ जा रहे हैं और किसान अब वही पैदावार लेते हैं जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ हो ।

22. डॉ. जगमोहन सिंह, गैर सरकारी सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री का प्रदेश विश्वविद्यालय को अतिरिक्त अनुदान देने पर आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए जो फीस structure में बढ़ौतरी की है वह सराहनीय कदम है । प्रदेश विश्वविद्यालय को RUSA कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है, नए प्रभाग खोलने की ज़रूरत है जिसके लिए अनुभवी प्राध्यापकों को नियुक्त करना भी आवश्यक है। अतः हमें प्रदेश विश्वविद्यालय की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए।

23. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) ने बताया कि इन संस्थानों में शोध एवं विकास (Research and Development) पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि ICAR तथा ऐसे ही अन्य बहुत से संस्थान हैं जो कि शोध कार्यों सम्बन्धी परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करते हैं, हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। कृषि तथा उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालयों के पास बहुत सी भूमि है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। प्रदेश विश्वविद्यालयों को इस भूमि का सही एवं उचित उपयोग करके अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना चाहिए।

24. श्री डी.के. शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने वार्षिक योजना 2015–16 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो 8 प्रतिशत वृद्धि दर की

बात की जाती है यह हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में सही नहीं है, क्योंकि यह वृद्धि मुख्य रूप से tertiary sector की वृद्धि दर के कारण है। प्रदेश में durable growth के लिए आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों के विकास पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए जहाँ पर स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो तथा अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। इसके लिए हमें उद्योग, ऊर्जा, आवास तथा पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । उन्होंने यह भी बताया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 2011–12 की कीमतों पर तय हुआ था जबकि इसके अन्तर्गत वार्षिक योजनाएं वर्तमान कीमतों पर तय की जा रही हैं। अगर इन वार्षिक योजनाओं के कुल आकार को deflate किया जाए तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जो निवेश तय हुआ था, उससे लगभग हम 30 प्रतिशत निवेश कम कर रहे है, जो कि ध्यान देने योग्य विषय है।

25. उन्होंने बताया कि पिछली कई पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण क्षेत्र में समुचित संरचनात्मक विकास हुआ है। अब ज़रूरत है कि प्रदेश में जो भी infrastructure तैयार किए गए हैं उनका सही रख रखाव किया जाए। यह भी आवश्यक है कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति का जायज़ा ज़िला स्तर पर लिया जाए ताकि मण्डी सिरमौर तथा शिमला जैसे ज़िलों के दूरदराज़ क्षेत्रों को भी सड़कों के साथ जोड़ा जा सके।

26. श्री डी. के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कम है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाए। जहाँ तक वित्तीय संसाधन बढ़ाने की बात है, हम सब जानते हैं कि हमारा Tax base बहुत ही संकुचित है तथा कर की दरें fairly inelastic हैं जो कि या तो उच्चतम सीमा पर हैं या फिर पड़ोसी राज्यों की कर दरों से प्रभावित हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में निवेश के लिए सही माहौल बनाया जाए जिससे प्रदेश में कर राजस्व बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने प्रदेश के सामाजिक मानकों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि प्रदेश में वर्ष 1984–85 से 2009–10 के दौरान तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण आवास जैसे क्षेत्रों में काफी विकास हुआ जिसकी सराहना विश्व बैंक द्वारा भी की गई है। अब समय आ गया है कि इस विकास को हम संचित करके रखें। अन्त में उन्होंने मानव संसाधन

विकास की बात करते हुए कहा कि वर्तमान में हमारे स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों से पढ़ाई समाप्त करके जो बच्चे निकलते हैं, वे अच्छे स्तर का रोज़गार पाने के लिए सक्षम नहीं होते। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में Quality Improvement पर विशेष ध्यान दिया जाए ।

27. श्री अतुल शर्मा, गैर सरकारी सदस्य ने कहा कि प्रदेश में जो पन–बिजली परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं उनमें स्थानीय बेरोज़गारों को रोज़गार देने का प्रावधान है। परन्तु कुछ कम्पनियाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं देती क्योंकि उन्हें कुशल श्रमिकों की ज़रूरत रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन कम्पनियों को सरकार की ओर से निर्देश दिए जाने चाहिए कि ये कम्पनियां सम्बन्धित क्षेत्र के बेरोज़गार युवकों को अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें तथा उन्हें रोज़गार देना भी सुनिश्चित करें।

28. श्री जगजीवन पाल, गैर सरकारी सदस्य ने प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव देते हुए कहा कि शराब की तस्करी पर रोक लगनी चाहिए तथा शराब के ठेकों की नीलामी में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए । खाद बनाने वाली कम्पनियों को अपनी इकाईयाँ प्रदेश में लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे प्रदेश के किसानों को सही समय तथा उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रदेश में उपजाऊ भूमि का निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को शीघ्र अति शीघ्र कानून बनाना चाहिए।

29. श्री सोहन लाल ठाकुर, गैर सरकारी सदस्य ने बताया कि प्रदेश में NTPC द्वारा कौल डैम परियोजना तैयार की गई है, उससे उस क्षेत्र में एक लम्बी झील तैयार हो गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार अगर इस झील में Water Sports को प्रोत्साहित करे तो वहां के स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

30. बैठक के अन्त में हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2015–16 की 4800 करोड़ रूपये की योजना को अनुमोदित किया।

31. बैठक का समापन करते हुए मुख्य सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद तथा राज्य योजना बोर्ड के अन्य सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया तथा आश्वस्त किया कि बैठक में उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों एवं सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष की योजना में समेकित किया जाएगा। योजना के समस्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रशासन सभी प्रयास करेगा।

*****